



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275899
CG-DL-E-01092026-275899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4620]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 4620]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4807(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **S.O. 1803(E) तारीख 08/04/2026**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में NH160A के कि.मी. 110 से कि.मी.156 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुसंधान, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"27/05/2026 को "द फ्री प्रेस जर्नल", 28/05/2026 को "दैनिक नवशक्ति" "** में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में NH160A के कि.मी. 110.000 से कि.मी.156.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पालघर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जव्हार					
गांव का नाम: कासटवाडी					
1	२	सरकारी	सरकारी फॉरेस्ट	0.9838	सरकारी फॉरेस्ट
2	४५	सरकारी	सरकारी फॉरेस्ट	0.0151	सरकारी फॉरेस्ट
3	५	सरकारी	सरकारी फॉरेस्ट	0.0212	सरकारी फॉरेस्ट
4	६	सरकारी	सरकारी फॉरेस्ट	0.281	सरकारी फॉरेस्ट
5	७	सरकारी	सरकारी फॉरेस्ट	0.4635	सरकारी फॉरेस्ट
Total				1.7646	

[फा. सं. RW/NH-12037/2/MAH-MISC-ZONE-IV/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4807(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 1803(E) Dated:08/04/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH160A in the stretch of land from Km. 110.000 to Km. 156.000 in the district of PALGHAR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Free Press Journal**” dated 27/05/2026, “**Dainik Navshakti**” dated 28/05/2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH160A in the stretch of land from Km. 110.000 to Km. 156.000 in the district of PALGHAR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PALGHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jawhar					
Village: Kastwadi					
1	2	Government	Govt. Forest	0.9838	Government Forest
2	45	Government	Govt. Forest	0.0151	Government Forest
3	5	Government	Govt. Forest	0.0212	Government Forest
4	6	Government	Govt. Forest	0.281	Government Forest
5	7	Government	Govt. Forest	0.4635	Government Forest
Total				1.7646	

[F. No. RW/NH-12037/2/MAH-MISC-ZONE-IV/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director